(136)

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3365

(243)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Rs 30/-

रामायण प्रसाद मिश्रा तनय श्री तुलसी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम पन्नी तहसील मउगंज जिला रीवा (म0प्र0) -----------आवेदक

बनाम्

1. मध्यप्रदेश शासन
2- आनन्द कुमार त नय मुनिमाधव तिवारी निवासी ग्राम पन्नी तहसील मउगंज जिला रीवा (म0प्र0) ----------अनावेदकगण

आवेदक रामायण प्रसाद मिश्रा द्वारा पेश/ 18-9-2017

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश एवं कार्यवाही राजस्व निरीक्षक मउगंज तहसील मउगंज जिला रीवा बाबत् प्रकरण क्रमांक -39अ12/2016-17 आदेश दिनांक 20/06/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की कार्यवाही व आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

2- यह कि धारा 129 म0प्र0भू0रा0संहिता के नियमो के तहत आवेदन पत्र अनावेदक का चर्तुदिश सीमांकित भूमियों में व्यक्तियो के नाम व खसरा क्रमांक- दर्शित कर विधिवत् नही दिया गया जिससे धारा 129 की कार्यवाही अविधिक है जो निरस्त योग्य है।

3- यह कि यह स्वीकृति तथ्य है कि आवेदक सीमा की स्थिति भूमि 1527 की सीमा 1524/1 से मिलती है तथा 1524/1 आवेदक की

(136)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3365 जिला–रीवा

रामायण प्रसाद मिश्रा / शासन, आनन्द कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अभिताब चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल मउगंज, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 39 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रींवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	